FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

प्रार्थना पत्र संख्या ..3441.../2022

किस्म प्रार्थना पत्र :– धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पुष्पा देवी बनाम रामसिंह आदि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.09.22	आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत प्रार्थीया/वादीया की ओर से उनके अभिभाषक श्री अजीत सिंह तंवर ने पेश किया। कार्यालय टिप्पणी ली गई। बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। न्यायालय हाजा में पूर्व में विचाराधीन मूल वाद संख्या 165/2014 जो दिनांक 10.12.2015 को सिविल प्रकिया संहिता 1908 के प्रावधानों के अनुसार आदेश 09 नियम 03 के अन्तर्गत अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो चुका है, की पत्रावली रिकार्ड से तलब की गई। प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीया/वादीया की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीया/वादीया ने दौराने बहस यह न्यायालय का यह समाधान कर दिया है कि मूल वाद संख्या 165/2014 जो दिनांक 10.12.2015 को सिविल प्रकिया संहिता 1908 के प्रावधानों के अनुसार आदेश 09 नियम 03 के अन्तर्गत अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो चुका है कि उसको वास्तविक रूप से जानकारी नहीं थी। अतः प्रार्थीया/वादीया की अपूर्तनीय क्षति एवं न्याय के बिन्दुओं को दुष्टिगत रखते हुये देरी को कन्डोन करते हुये प्रार्थीया/वादीया का उक्त प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 04 सिविल प्रकिया संहिता 1908 न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा वाद संख्या 165/2014 जो दिनांक 10.12. 2015 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज [illegible] था, को पुनः नये नम्बर लिये जाने [illegible] है। मिसल फैसल होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा मूल वाद संख्या 165/2014 उनवानी पुष्पा देवी बनाम रामसिंह आदि के संलग्न रहे। उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:35:12 IST
Reason: SelfAttested